

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने [मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0](#) के तहत ड़रों के माध्यम से 20 ज़िलों में **4,533** लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किये।

मुख्य बदि

- प्रथम चरण में आवंटित आवासीय भूखंड:
 - 20 ज़िलों की ग्राम पंचायतों में सभी पात्र आवेदकों को **100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये गए:**
 - अंबाला, भविानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हसियार, झज्जर, जीद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सरिसा, सोनीपत और यमुनानगर।
 - जीद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भविानी, फतेहाबाद, रोहतक और हसियार ज़िलों के **घुमंतू जाति**, वधिया और अनुसूचित जाति के पात्र आवेदकों को भी **100 वर्ग गज के भूखंड** प्राप्त हुए।
 - महाग्राम पंचायत बहल में पात्र आवेदकों को **50 वर्ग गज के भूखंड** आवंटित किये गए।
- आवंटन की वधि:
 - पारदर्शी और नषिपक्ष प्रकरिया सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूखंडों का आवंटन **ड़रा ससि्टम के माध्यम द्वारा** किया गया।